पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
लेटर्स पेटेंट अपील सं.– 1406/2023
में
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या –10140/2023

= = = =

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= = = =

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2021 दिनांक 22.2.2021 के अनुसार अपीलार्थी ने अग्निक (सिपाही) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थी की श्रेणी के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर थी। अतिरिक्त निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा लिखे गए पत्र संख्या 6321 दिनांक 15.5.2023 (रिट आवेदन के अनुलग्नक–7) की सामग्री से यह भी पता चलता है कि उसकी ऊंचाई की माप के समय यह पता चला था कि अपीलार्थी ने विज्ञापन द्वारा आवश्यक न्यूनतम 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपनी एड़ी के नीचे कैरम बोर्ड (खेल) के सिक्के चिपकाए थे।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता ने प्राधिकारियों द्वारा उसकी ऊंचाई मापने के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया था, जैसा कि दिनांक 15.5.2023 के उपरोक्त पत्र से स्पष्ट होता है, न्यायालय को तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती।

8. अपील खारिज की जाती है।

(श्री के0 विनोद चंद्रण, मुख्य न्यायाधीश)

(श्री पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

विभाष

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।